(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

प्रशासन गांवों के संग–2021

राजस्व ग्राम चमार प०म० चमार भू०अ०नि०वृत्त गिरवर तहसील– आबूरोड

क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	296	1688 80/2026 81/2026	0.9610 82/26 83/26 84/26 85/26 86/26	1. कमला पुत्री मूरी - 1/12 गरासिया 2. काली पुत्री मूरी 1/12 गरासिया 3. गजी पुत्री मूरी 1/12 गरासिया 4. पवनि पुत्री मूरी 1/12 गरासिया 5. मेघि पुत्री मूरी 1/12 गरासिया 6 वनडि पुत्री मूरी 1/12 गरासिया 7. विरमा पुत्री मूरी 1/12 गरासिया (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा मानपुर	1. कमला पुत्री मूरी - 1/12 गरासिया 2. काली पुत्री मूरी - 1/12 —"— 3. गजी पुत्री मूरी 1/12 —"— 4. पवनि पुत्री मूरी 1/12 —"— 5. मेघि पुत्री मूरी 1/12 —"— 6. वनडि पुत्री मूरी 1/12 —"— 7. विरमा पुत्री मूरी 1/12 —"— पूर्ण खाता राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का नाम परिवर्तन राजस्थान ग्रामीण बैंक होने से शुद्धि कि जाति उचित है।

मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत 2012 पं. व्यापारी चमार के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है। पटवारी (भू. अ.) तहसील-आबूरोड (सिरोही) ह० पटवारी दिनांक ..... प०म०.....	साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है। दिनांक..... ह० भू०अ०नि० वृत्त गिरवर	प०हल्का चमार भू०अ०नि० गिरवर की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है। 27/02/26 ह० राजस्व अधिकारी तहसीलदार (भू०अ०) आबूरोड	प०हल्का चमार भू०अ०नि० गिरवर राजस्व अधिकारी आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। सहायक कलेक्टर ह० उपखण्ड अधिकारी